

उप 30 हस्तशिल्प विकास एवं विपणन निगम लिमिटेड
(उप30 सरकार का उपक्रम)
ओ0डी0ओ0पी0 मार्केटिंग एवं ग्राफिंडिंग फेसिलिटेशन सेंटर,
एक्सपो मार्ट, निर्यात नवन, 8 कॅण्ट रोड, कैसरबाग, लखनऊ-226001
ईमेल : uphdmcho@gmail.com, वेबसाइट www.uphdmc.in

संस्थागत आपूर्ति हेतु फर्मों का एम्पैनलमेन्ट

उत्तर प्रदेश 'हस्तशिल्प विकास एवं विपणन निगम लि0 द्वारा संस्थागत आपूर्ति हेतु उत्पादकों/आपूर्तिकर्ताओं के पंजीकरण हेतु इच्छुक फर्मों/संस्थाओं आदि से प्रस्ताव आमंत्रित किये जाते हैं। पंजीकरण प्रपत्र एवं शर्तें निगम की वेबसाइट www.uphdmc.in से डाउनलोड किये जा सकते हैं। फर्मों/संस्थाओं के एम्पैनलमेन्ट हेतु आवेदन करने की अंतिम तिथि 15.10.2023 है। किसी एक/समस्त प्रस्तावों को निरस्त करने का अधिकार प्रबन्ध निदेशक में निहित होगा। प्रबन्ध निदेशक

कार्यालय आयुक्त एवं निवन्धक सहकारिता उता प्रदेश

पत्रांक 1431/वकाया-स्था0/श्रीमती जयन्ती देवी, सहयोगी(संग्रह), निवासी-नयावपुरवा, विवेकखण्ड, गौमतीनगर, लखनऊ दिनांक लखनऊ 29 सितम्बर, 2023

अगत करना है कि आप द्वारा बिना किसी सूचना/अवकाश प्रार्थना पत्र के दिनांक-29.08.2022 से अनुपस्थित/पलायित रहने के आधार पर कार्यालय आदेश संख्या-536-38/वकाया/दिनांक-23.05.2023 के माध्यम से आपके विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित करते हुए आरोप पत्र गठित करके उसका उत्तर/प्रतिउत्तर देने हेतु कार्यालय में उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर आपके निवास पते पर प्रेषित किया गया था, जो बिना प्राप्ति रसीद के डाक विभाग द्वारा दिनांक-28.05.2023 को मूल रूप में वापस किया गया है। अतः आपको एक अन्तिम अवसर प्रदान करते हुए आपसे अपेक्षा है कि इस नोटिस के संलग्न आरोप पत्र का साक्ष्य सहित अपना अभिकथन लिखित रूप से समाचार पत्र के प्रकाशन की तिथि से 15 दिवस के अन्दर प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें, अन्यथा की स्थिति में गुण दोष के आधार पर प्रकरण में नियमानुसार निर्णय लेते हुए प्रकरण निस्तारित कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं उत्तरदायी होंगी।

आरोप-पत्र

श्रीमती जयन्ती देवी, सहयोगी(संग्रह), वकाया अनुभाग, कार्यालय आयुक्त एवं निवन्धक, सहकारिता उप30 लखनऊ।

वकाया अनुभाग, कार्यालय आयुक्त एवं निवन्धक, सहकारिता उप30 मुख्यालय से दिनांक 29.08.2022 से बिना किसी अवकाश प्रार्थना पत्र के आपके अनुपस्थित रहने के फलस्वरूप कार्यालय के पंजीकृत पत्र सं0 6738/वकाया स्था0/दिनांक 11.10.2022, पत्र सं0 7082/वकाया-स्था0/दिनांक 07.12.2022 एवं तत्पश्चात कार्यालय पत्रांक 18/वकाया-स्था0/दिनांक 13.04.2023 द्वारा वकाया अनुभाग मुख्यालय के अभिलेखों में अंकित आपके स्थायी आवासीय पते पर प्रेषित कारण बताओ नोटिस निर्गत कर स्पष्टीकरण मांगा गया था, परन्तु आप द्वारा अपना कोई स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया गया है और न ही अद्यतन कार्यालय में उपस्थित हुई है।

इस प्रकार दिनांक 29.08.2022 से आपके बिना किसी अवकाश प्रार्थना पत्र के कार्यालय से अनुपस्थित/पलायित रहने के कारण उप30 शासन की अधिसूचना सं0 13/98 का-1-99/दिनांक 09.05.1999 द्वारा प्रस्थापित उप30 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली 1999 के नियम-7 के अन्तर्गत आपकी उपयुक्त अनुशासनहीनता व स्वेच्छाचारिता के सम्बन्ध में उप आयुक्त एवं उप निवन्धक(वैकिंग), सहकारिता उप30 लखनऊ के आदेश पत्रांक 536-38/वकाया/दिनांक-23.05.2023 के द्वारा आपके विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित की गयी है। तदुक्त में आपको निम्नलिखित आरोपों से आरोपित किया जाता है :-

आरोप सं0-1 आप सहयोगी(संग्रह) पद पर वकाया अनुभाग मुख्यालय में तैनात है तथा दिनांक 29.08.2022 से बिना किसी अवकाश प्रार्थना पत्र के कार्यालय से अनुपस्थित है। अतः आपकी उपर अनुशासनहीनता व स्वेच्छाचारिता के लिए आरोपित किया जाता है।

आरोप सं0-2 आपके दिनांक 29.08.2022 से बिना किसी अवकाश प्रार्थना पत्र के कार्यालय से निरन्तर अनुपस्थित रहने के कारण आपको इस कार्यालय के पंजीकृत पत्र सं0 6738/वकाया स्था0/दिनांक-11.10.2022, पत्र सं0 7082/वकाया स्था0/दिनांक 07.12.2022 तथा कारण बताओ नोटिस पत्रांक-18/वकाया स्था0 दिनांक 13.04.2023 कार्यालय अभिलेखों में अंकित आपके स्थायी पते पर प्रेषित करते हुए अनुपस्थित रहने के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये किन्तु आप द्वारा कारण बताओ नोटिस दिनांक 13.04.2023 प्राप्त करने के उपरान्त भी उसका उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया है जो आपकी जवाबीनता, लापरवाही तथा स्वेच्छाचारिता का द्योतक है जिसके लिए आपको आरोपित किया जाता है।

आरोप सं0-3 आप द्वारा अपने पदीय चायियों एवं फर्तियों का सम्यक् रूप से निर्वहन नहीं किया गया है तथा उप30 सरकारी सेवक आचरण नियमावली-1956 के नियम-3 के प्राविधानों का स्पष्ट रूप से उल्लंघन किया गया है।

अतः आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप पत्र प्राप्ति के 15 दिन के भीतर आरोपित विन्दुओं के सापेक्ष आरोपवार लिखित उत्तर/स्पष्टीकरण प्रस्तुत करें। यदि उक्त निर्धारित अवधि के अन्दर आपको उत्तर/स्पष्टीकरण प्राप्त नहीं होता है तो यह मान लिया जायेगा कि आपको प्रकरण में घुड़ नहीं कहना है और तदनुसार उपलब्ध साक्ष्यों/अभिलेखों के दृष्टिगत गुण-दोष के आधार पर नियमानुसार अन्तिम निर्णय ले लिया जायेगा।

आपसे यह भी अपेक्षा की जाती है कि यदि आप अपने मंत्राव/पक्ष में कोई गंवाह/साथी प्रस्तुत करना चाहती है अथवा किसी साक्ष्य का प्रति परीक्षण कराना चाहती है तो उसके लिए आप जांच अधिकारी से लिखित अनुरोध कर सकती है।

(श्रीमान वामि)

जॉय अधिकारी/

सहायक आयुक्त एवं सहायक निवन्धक सहकारिता उप30 लखनऊ

R-1432

उप30 लोक सेवा आयोग

विज्ञप्ति

डेप्टल सर्जन (स्क्री0) परीक्षा-2023, जो दिनांक 01 अक्टूबर 2023 को आयोजित व गयी थी, से सम्बन्धित वस्तुनिष्ठ प्रकारक सामान्य अध्ययन एवं डेप्टल सर्जरी विषय व चारों सीरीज (A,B,C&D) की प्रश्नपुस्तिकाओं की उत्तर-कुंजियां आयोग की वेबसाइट <https://uppsc.up.nic.in> पर दिनांक 10 अक्टूबर 2023 तक उपलब्ध है। **विज्ञप्ति/आपत्ति के सम्बन्ध में प्रत्यावेदन प्राप्ति की अन्तिम तिथि 11 अक्टूबर 2023 है।** उक्त तिथि एवं समय के पश्चात प्राप्त प्रत्यावेदन पर आयोग द्वारा विचार नहीं किया जायेगा। आपत्ति प्रस्तुत करने के सम्बन्ध में विस्तृत विज्ञप्ति आयोग की वेबसाइट <https://uppsc.up.nic.in> पर उपलब्ध है।
संख्या- 01/07/अति-5/2023-2024 (अजय कुमार तिवारी)
दिनांक: प्रयागराज: 05 अक्टूबर, 2023 परीक्षा नियंत्रक

कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद सुलतानपुर

पत्र संख्या: आर-अपर-निर्देश (विविध)/2023 दिनांक: 05 अक्टूबर, 2023
धारा 82 सीआरपीसी तामीला/नोटिस
सूचित किया जाता है कि मु0अ0सं0 935/23 धारा 302/120बी/34 भादवि व 7 सीएलए एक्ट धारा कोतवाली नगर जनपद सुलतानपुर से सम्बन्धित अभियुक्त अजय नारायण सिंह पुत्र जगदीश नारायण सिंह निवासी नारायनपुर धारा कोतवाली नगर जनपद सुलतानपुर के विरुद्ध धारा 82 सीआरपीसी का तामीला दिनांक: 05.10.2023 को किया गया है जिस पर 50,000 रुपये का ईनाम घोषित किया गया है।
प्रभारी निरीक्षक, कोतवाली नगर सुलतानपुर

लखनऊ नगर निगम

टी.एच.मार्ग, लालबाग, लखनऊ-226001 (उप30)
ई-डेप्टर पोर्टल - <https://etender.up.nic.in>
ई-निविदा सं0-141/मु0अ0/23-24 दिनांक 04.10.2023
ई-निविदा प्रणाली के अन्तर्गत अल्पकालिक निविदा सूचना
(पंचम आमंत्रण)

ई-निविदा प्रणाली के अन्तर्गत लखनऊ नगर निगम द्वारा दिनांक 12.10.2023 को 01 कार्य हेतु द्विदिनांक पद्धति पर ई-निविदा, ई-निविदा पोर्टल <https://etender.up.nic.in> पर आमंत्रित की जाती है पोर्टल <https://etender.up.nic.in> पर निविदा के साथ जमानत धनराशि एवं निविदा प्रपत्र की धनराशि आर0टी0जी0एस0/एनईएफ0टी0/इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से पोर्टल <https://induscollect.indusind.com/pay/index.php> पर लांघिन करके जमा किया जायेगा। ई-निविदा दिनांक 12.10.2023 को अपराह्न 15.00 बजे तक ई-निविदा पोर्टल पर प्राप्त की जायेगी जिन्हे दिनांक 12.10.2023 को 16.00 बजे निविदा समिति के समक्ष खोला जायेगा। किसी भी ई-निविदा को स्वीकार एवं अस्वीकार करने का अधिकार समक्ष अधिकारी में निहित होगा। अन्य समस्त विवरण/नियम/शर्तें यथा कार्य का नाम, आगणन धनराशि, निविदा प्रपत्र की धनराशि एवं जमानत धनराशि पोर्टल <https://etender.up.nic.in> पर उपलब्ध है।
मुख्य अभियन्ता

कार्यालय आयकर अधिकारी-(3) (4)

आयकर भवन, इगली चौराहा, लखीमपुर खीरी (उप30)-262701
e-mail id : lakhimpur.ito1@incometax.gov.in

सार्वजनिक सूचना

आयकर भवन इगली चौराहा, लखीमपुर खीरी में "जन शिकायत निस्तारण पखवाहा" का आयोजन किये जाने के सम्बन्ध में सभी सम्मानित करदाताओं को सूचित किया जाता है कि आयकर भवन इगली चौराहा, लखीमपुर खीरी में दिनांक 03 अक्टूबर से दिनांक 17 अक्टूबर, 2023 तक "जन शिकायत निस्तारण पखवाहा" का आयोजन किया जा रहा है जिसमें करदाताओं की समस्त समस्याओं एवं जन शिकायतों का निस्तारण प्राथमिकता के आधार पर किया जायेगा।

इस सम्बन्ध में अधिक जानकारी के लिए आयकर भवन इगली चौराहा, लखीमपुर खीरी में किसी भी कार्य दिवस में संपर्क किया जा सकता है।

(सुमन कुमार)

आयकर अधिकारी-3 (4), लखीमपुर-खीरी

14. Financial status of the Applicant (Manufacturer/Supplier)

2019-2020

2020-2021

2021-2022

15. Major Clients:

16. Other information, if any.

The earnest money of Rs.10,000.00 (Rupees ten thousand) only is enclosed vide D.D. No. _____ dated _____ drawn on Bank _____.

Date:

(Signature)
Proprietor/Partner/Director/
Authorised Signatory

Name of Firm/Organization
(with seal)

Note:

1. The registration fee per applicant is Rupees Ten Thousand.
2. Every application should be accompanied by a Demand Draft of Rs. 10,000/- (Rupees ten thousand) only drawn in favour of the U.P. Handicrafts Development And Marketing Corporation Ltd., payable at Lucknow.

**U.P. Handicrafts Development And Marketing
Corporation Ltd.**

ODOP Marketing and Branding Facilitation Centre
Niryat Bhawan, 8-Cantt. Road, Kaiserbagh, Lucknow

**Undertaking of the applicant for Registration as Institutional
Sale Associates**

I/We,

_____ Son/Daughter/Wi
fe of _____ on behalf of

_____ do hereby solemnly affirm that all the information given in the proposal form is correct to the best of my knowledge and belief. If any information is noticed or found wrong or misleading before or after registration, the U.P. Handicrafts Development and Marketing Corporation Ltd., (A U.P. Govt. Undertaking), Lucknow shall be at liberty to take suitable action against me/us/my/our Firm/Organization and my/our proposal/registration shall be liable to be rejected/cancelled. I/We hereby accept all terms & conditions of the registration laid down by the U.P. Handicrafts Development and Marketing Corporation Ltd., (A U.P. Govt. Undertaking), Niryat Bhawan, 8-Cantt. Road, Kaiserbagh, Lucknow and agree to abide by the same.

Name:

Signature of applicant

Date:

Name of the applicant

Name of the Firm/Organization
Seal of the Firm/Organization

To be furnished on Rs.10/- Non-Judicial Stamp Paper duly
notorised

I/We _____ Son/Daughter
/Wife of _____ do hereby
solemnly affirm that M/s. _____
have never been blacklisted by any Govt.
Department/Institution/Organization.

(Signature)

Name:

Address: